भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 601

उत्तर देने की तारीख 04 फरवरी, 2026

बुधवार, 15 माघ, 1947 (शक)

कौशल भारत मिशन में शासन संबंधी विफलताएँ

601. श्रीमती फूलो देवी नेतम: श्री दिग्विजय सिंह: श्री हारिस बीरान:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) में शासन संबंधी गंभीर खामियों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान सरकारी निधियों के कथित गबन के लिए अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों का वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण से संबंधित साझेदारों के खिलाफ दर्ज की गई कुल एफआईआर की संख्या, दुरुपयोग की गई निधियों का मूल्य और ब्लैकलिस्ट किए गए संस्थानों की संख्या का वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने कौशल भारत मिशन में प्रणालीगत अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोई जांच शुरू की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुरूप है) के तहत एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर संचालित होता है, जिसमें 49% शेयर पूंजी सरकार के पास और 51% निजी क्षेत्र के पास है। एनएसडीसी के किसी भी प्रशासनिक निर्णय के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण एनएसडीसी का निदेशक मंडल है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के रूप में एनएसडीसी को कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यरत कुछ प्रशिक्षण भागीदारों (टीपी) और प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) द्वारा योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करने से संबंधित शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। इनमें निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करना, दस्तावेज़ीकरण में कमियां या प्रशिक्षण प्रदान करने में खामियां जैसे मुद्दे शामिल हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उनकी जांच की जाती है। इन केंद्रों की निगरानी भौतिक और वर्चुअल दोनों माध्यमों से की जाती है। उपस्थिति अभिलेखों में हेराफेरी जैसी गतिविधियों में शामिल गैर-अनुपालन करने वाले टीपी/टीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, ब्लैकलिस्ट करना, निलंबन और वित्तीय वसूली सहित सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार, योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कुल 178 प्रशिक्षण केंद्रों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा, उपस्थिति अभिलेखों में हेराफेरी सहित गंभीर अनियमितताओं से संबंधित मामलों में 41 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।

सरकार अपने कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण और नियुक्ति परिणामों की गुणवत्ता की लगातार निगरानी करती है, जिनमें पीएमकेवीवाई द्वारा ऑडिट, मूल्यांकन, मीडिया रिपोर्टों या हितधारकों की प्रतिक्रिया शामिल है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, अनिवार्य आधार आधारित प्रमाणीकरण, जिसमें शामिल है चेहरे के प्रमाणीकरण माध्यम से उपस्थिति और आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), उम्मीदवारों के क्रेडेंशियल्स का आधार आधारित सत्यापन, मोबाइल नंबर प्रमाणीकरण और तृतीय-पक्ष मूल्यांकन निकायों की विस्तारित भूमिका आदि के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है।

पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और एकरूपता में सुधार लाने के लिए, सरकार ने समय-समय पर कई उपाय किए हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालियों के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पर पंजीकरण प्रक्रिया ई-केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करती है, उम्मीदवारों के दोहराव की जांच के लिए सिद्ध पोर्टल के माध्यम से सभी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का रखरखाव आदि किया जाता है। उपस्थिति अभिलेखों में हेराफेरी सहित कदाचार को रोकने के लिए एक संरचित शिकायत निवारण तंत्र, कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा, प्रभाव आकलन और तृतीय-पक्ष मूल्यांकन को संस्थागत रूप दिया गया है। अतिरिक्त उपायों में वास्तविक समय कॉल सत्यापन, प्रशिक्षण साझेदारों/प्रशिक्षण केन्द्रों का औचक निरीक्षण, भू-टैग किए गए साक्ष्य के साथ वर्चुअल सत्यापन और एनआईसी द्वारा विकसित सेंट्रल कम्युनिकेशन लेयर (सीसीएल) के माध्यम से उम्मीदवारों की फीडबैक भी लागू की गई है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षण केवल मान्यता प्राप्त और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

*****